20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

118

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —दो / 15 नि0 / 3913 – II – 15

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा
द्वारा आज दि. 14/12/15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट,
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

14/12/15

14/12/15

1– मेहरवान,मोहन,राकेश,अरविन्द तनय हरनारायण यादव

2– रहेश,राजेश,उमेश,तनय प्रागीलाल यादव

3– जयसिंह तनय दयाराम यादव

4– दयाराम तनय फुन्दी यादव

5– हरकुंवर पत्नी दयाराम यादव

समस्त निवासी ग्राम टौरिया भौंरखरी तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़

6– संजीव कुमार तनय रामप्रसाद बसोर

7– रामदेवी पुत्री रामप्रसाद बसोर

8– राजो पुत्री भैयालाल बसोर

समस्त निवासी ग्राम मड़खेरा

9– छन्दी तनय चिंखेपाल निवासी ग्राम टपरियन तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़

—— आवेदकगण

विरूद्व

1– कुंवरलाल यादव निवासी ग्राम टौरिया भौंरखरी तहसील मोहनगढ़ जिला–टीकमगढ म0प्र0

——अनावेदक

//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3973-दो/2015 जिला टीकमगढ़ मेहरवान विरूद्ध कुंवरलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 12/स्व.निगरानी/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24-11-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-12-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की	

	सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो। 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये। 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 7.1.19	